



2026 : AHC : 51522

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7014 वर्ष 2026

जयदान सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रवींद्र कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता (लिबर्टी) के साथ वर्तमान रिट याचिका को दबाव न दिए जाने (नॉट प्रेस्ड) के कारण खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
2. की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
3. रिट याचिका प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता (लिबर्टी) देते हुए खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी फोटो-प्रति अभिलेख (रिकॉर्ड) पर रखने के बाद, वापस कर दी जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

13 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।